

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii),

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७७] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च १, १९७३/फाल्गुन १०, १८९४
No. 77] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1973/PHALGUNA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st March 1973

S.O. 115(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Third Amendment Order, 1973.
2. In Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, entries Nos. 46(ii) and (iii) shall be substituted by the following:—
“46(ii) Raw jute, mesta and jute cuttings excluding caddies”.
“46(iii) Raw silk, pure silk yarn and silk waste”.

[No. E(C)O, 1968/AM(93).]

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च 1973

एस० ओ० 115(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है; और अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची । के भाग बी में प्रविष्टि संख्या 46(ii) तथा (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“ 46(ii) कैंडीस को छोड़कर कच्चा पटसन, मैस्ता तथा पटसन की कतरनें ।”

“ 46(iii) कच्चा रेशम, विशुद्ध रेशमी रेशे तथा रद्दी रेशम ।”

[संख्या ई (सी) ओ, 1968/ए० एम० (93)]

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।